न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1 / 45 / 2022

बउनवान

1. बदले पुत्र सूका जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. जगदीश पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
3. मनोज पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
4. महेन्दर पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
5. सतीश पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
6. मिश्री पत्नी रामरूप जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
7. गीता पुत्री प्रहलाद जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
8. कपिल पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर
9. अमित पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी भनोखर तहसील कठूमर

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर राज0 सरकार।

प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक

उपस्थित :—श्री गिरधारीलाल शर्मा —अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी की ओर से —पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 21.12.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1729 रकवा 1.05 हे. 1734 रकवा 1.20 हे. 1738 रकवा 0.28 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण जाति से जाटव है। वादीगण का वुजुर्ग सूका पुत्र सोनपाल जाटव जाति का व्यक्ति था। जिनका स्वर्गवास हो गया। वादीगण मृतक सूका के कानूनी वारिसान है। संवत् 2014 से पूर्व के समस्त राजस्व रेकार्ड में वादीगण के वुजुर्ग सोनपाल की जाति जाटव दर्ज है परन्तु सैटलमेंण्ट विभाग के कर्मचारियान व अधिकारियान ने सूका की जाति जाटव बदलकर मीना दर्ज कर दी जो संवत् 2028 में वक्त सैटलमेंण्ट आपरेशन अंकित हुई है। वादीगण ने दिनांक 14.12.2021

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

को राजस्व शिविर भनोखर में वादीगण की हाल राजस्व रेकार्ड में जाति दुरूस्त करने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया हल्का पटवारी ने उस पर रिपोर्ट की जिसमें वादीगण की जाति जाटव का अंकन किया लेकिन उक्त गलती सैटलमेंण्ट कर्मचारियान की होने की वजह से इसकी दुरूस्ती सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाना संभव बताया। इस वजह से वादी सं0 3 ला0 9 के पिता एंव पति प्रहलाद व रामरूप के फौत हो जाने परविवादित आराजी में वादी सं0 3 ला0 9 को खातेदार काश्तकार व हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण की जाति मीना के स्थान पर जाटव घोषित किये जाने हेतु दावा घोशणात्मक अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में पोस्टल रसीद ए डी., जमाबन्दी संवत् 2075 ला0 78, प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट नकल मिलान क्षैत्रफल नकल जमाबन्दी संवत् 2014, 2028 व भापथ पत्र पेश किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पटवारी हल्का की रिपोर्ट शपथ पत्र व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार सरकार की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगणने अपनी वहस के दोरान अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार प्रहलाद व रामरूप का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस वादी सं0 3 ला0 9 है तथा वादीगण की जाति मीना ना होकर जाटव है तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण की जाति जाटव दर्ज है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान व अधिकारियान ने सैटलमेंण्ट के दौरान वादीगण की जाति जाटव के स्थान पर मनमाने तरीके से मीना दर्ज कर दी है बन्दोबस्त विभाग को तो पूर्व राजस्व रेकार्ड के अनुसार जााति जाटव ही दर्ज करनी चाहिए थी इस तरह से इन्द्राज बदलने का वन्दोवस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियान को अधिकार नहीं थे। अतः वादी सं0 3 ला0 9 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व वादीगण की जाति हाल राजस्व रेकार्ड से मीना कलमजन कर जाटव दर्ज किया जावे व वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1729 का साविक खसरा नम्बर 1437 हाल खसरा नम्बर 1734 का साविक खसरा नम्बर 1432 हाल खसरा नम्बर 1738 का साविक खसरा नम्बर 1428 है। जमाबन्दी संवत् 2014 की जमाबन्दी के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (खानबर) राज0

93 पर वादीगण के बुजुर्ग सूका पुत्र सोनपाल की जाति चमार (जाटव) सा0 देह दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 के खाता संख्या 434 पर सूका वल्द सोनपाल जाति मीना दर्ज है। वादीगण के जाति की दुरूस्ती बावत प्रार्थना पत्र तहसीलदार कठूमर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट कर जाहिर किया कि वादीगण की जाति मीना ना होकर जाटव है। ग्राम पंचायत भनोखर द्वारा एक लेख पत्र जारी किया है जिसमें वादीगण की जाति जाटव होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा एक शपथ पत्र पेश किया है जिसमें वादीगण ने अपने आपकी जाति मीना ना होकर जाटव बताया है हाल जमाबन्दी में वादीगण की जाति मीना दर्ज है। इस विस्तृत विवेचन से हम इस निष्कर्श पर पहुँचे है कि साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण के बुजुर्ग सूका की जाति जाटव दर्ज है लेकिन बन्दोवस्त विभाग द्वारा वादीगण की जाति बदलकर मीना दर्ज की है। वादीगण जाति से जाटव है। खातेदार प्रहलाद व रामरूप का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस वादी सं0 3 ला0 9 है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से वादीगण की जाति जाटव सावित होने से वाद वादीगण डिक्री होने डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1729 रकवा 1.05 हे. 1734 रकवा 1.20 हे. 1738 रकवा 0.28 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर से मृतक प्रहलाद व रामरूप का नाम कलमजन कर वादी सं0 3 ला0 9 को खातेदार काश्तकार व वादीगण की जाति मीना के स्थान पर जाटव घोशित किया जाता है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.12.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुमित कुमार सिसोदिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या [illegible] / [illegible] / [illegible]

[illegible]

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
3. [illegible] पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
4. [illegible] पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
5. [illegible] पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
6. [illegible] पत्नी रामरूप जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
7. [illegible] पुत्री प्रहलाद जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
8. [illegible] पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर
9. [illegible] पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी मनोखर तहसील कठूमर

डिक्रीदारान

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जरिये [illegible] राज0 सरकार।

मदयूनान

दावा घोषणात्मक

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1729 रकबा 1.06 है. 1734 रकबा 1.20 है. 1738 रकबा 0.26 है. ग्राम मनोखर तहसील कठूमर से मृतक प्रहलाद व रामरूप का नाम कलमजन कर वादी सं0 3 ता0 9 को खातेदार काश्तकार व वादीगण की जाति मीणा के स्थान पर जाटव घोषित किया जाता है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड मे नवीन संशोधित इन्दाज दर्ज करे।

आज दिनांक 21.12.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

सुमित कुमार सिसोदिया

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)